خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

'' तुम में बेहतरीन आदमी वह है जो क़ुर्आन का ज्ञान प्राप्त करे और दूसरों को उस की शिक्षा दे । ''   (बुख़ारी)

क्या क़ुर्आन को समझ कर पढ़ना जरूरी नहीं ?

शम्स पीरज़ादा (रह.)

हिन्दी अनुवाद ; मुहम्मद नसरुल्लाह (एम.ए.)

इदारा दअ्वतुल क़ुर्आन

५९-मुहम्मद अली रोड, मुम्बई-४००००३
फोन ; 23465005

...... 14th Edition, September. 2012
...... 8,000   Price Rs.10/-

प्रकाशक के विचार

शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करिया रह. ने फ़रमाया : (१)कलामे पाक समझ कर तथा बुद्धि के साथ पढ़े।(२)इस के अर्थ में ग़ौर तथा विचार के साथ पढ़े।(३)अगर ज्ञान चाहते हो तो क़ुर्आन पाक के अर्थ में ग़ौर तथा विचार करो इस में प्रथम तथा अन्तिम का ज्ञान है।(४) कुर्आन को अच्छे स्वर से पढ़ो तथा उस के अर्थ में ग़ौर तथा विचार करो ताके तुम भलाई को पहुँचो।(५) विचार तथा तफक्कुर के साथ आयाते वईद व रहमत पर दुआऐं मग़फिरत तथा दया मांगें ।

मुसलमानों की भलाई इसी में है, कि आम व ख़ास सामान्य तौर पर सभी क़ुरआन मज़ीद को समझ सकें, तथा छोटे बड़े सभी लोग क़ुरआन मजीद के अर्थ का अध्ययन कर सकें ।

(शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह.)

''कुर्आन मज़ीद को इस तरह पढ़ा जाए कि हाथ में क़लम हो, ग़ौर तथा विचार करें तथा ख़ास स्थान पर निशान लगाते चले जाऐं । एक दिन एसा आयेगा कि आप का कुर्आन करीम निशानात से रगं बरगं हो जाए ''।

(मौलाना मुहम्मद अली जौहर रह.)

'' पूरी रात कुर्आन मज़ीद पढ़ने से ज्यादा सवाब इस में है कि एक दो आयतों को ही अर्थ तथा मतलब के साथ पढ़ें ''।

(इमाम ग़ज़ाली रह.)

कुर्आन मजीद मनुष्यों के लिए अल्लाह तआला का एक संपादित करदा ज़ाबताऐ जीवन है, जिस में हमारे जीवन तथा संसार व आखिरत की कामयाबी की कुंजी (कलीद) है। मगर अफ़सोस ! हम इस को पढ़ने से कतराते हैं ।''

(सय्यद अबुलआला मौदूदी रह.)

अल्लाह सुबहानहु ने कुर्आन इस लिए उतारा है कि इस के अर्थ में ग़ौर व फिकर किया जाऐ । दूरदर्शिता (तदब्बुर)के बग़ैर महज़ तिलावत (पढ़ने)के लिए नहीं उतारा ।----------अल्लामा शोकानी

'' तिलावत के साथ अर्थ तथा तफ़सीर भी पढ़ते रहें ।''

हजरत मौलाना मुहम्मद इलयास क़ादरी (मुसन्निफ फैज़ाने सुन्नत)

“दर्से क़ुरआँ अगर हम ने,न भुलाया होता   यह ज़माना,न ज़माने ने दिखाया होता ”

-------(अल्लामा इक़्बाल रह.)

“मिशकातुल मसाबीह,” में क़ुर्आन की श्रेष्ठता के विषय में, एक हदीस में कहा गया है कि “जो कोई क़ुर्आन को छोड़ कर किसी और माध्यम से “मार्ग दर्शन” प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, अल्लाह उसे मार्ग भ्रष्ट कर देगा”। हदीस के शब्दों पर विचार कीजिए,किस प्रकार की “कठोर चेतावनी” है !यह नहीं कहा कि “मार्ग दर्शन”नहीं दे गा किन्तु फ़रमाया अल्लाह उसे “मार्ग भ्रष्ट ” कर दे गा ।

इस हदीस के माध्यम से हम अपने आचरण को जाँचें और देखें कि हम किस “माध्यम ” से क्या प्राप्त कर रहें हैं ? “मार्ग दर्शन” या “नास्तिकता” (गुमराही)?

कुछ लोग अन्जाने तौर पर इस्लाम शत्रुओं के षडयंत्र में फँस कर ख़ुद भी ऐसा समझते हैं तथा लोगों से भी कहते हैं कि “क़ुरआन सिर्फ विद्वानों (उलमा) के समझने के लिए है। अगर सामान्य आदमी इस को समझने का प्रयत्न करें गें तो मार्ग भ्रष्ट हों गें ”। कितनी अजीब बात है !

इस ग़लत प्रोपगन्डे को रद करने के लिए मौलाना शम्स पीरज़ादा (रह.) ने यह पुस्तिका लिखी । इस पुस्तिका के उर्दू ,मराठी, गुजराती, तथा अंग्रेज़ी अनुवाद भी प्रकाशित होते रहें हैं।

अलावा सर्व सामान्य आदमियों को क़ुरआन से निकट करने तथा समझ कर पढ़ने का प्रलोभन देते हेतु आसान तथा विस्तार पूर्वक (तफ़सीर) “दअवतुल कुरआन” प्रत्येक तीन खंडो पर आधारित उर्दू , मराठी, गुजराती, हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में प्रकाशित हो रही हैं ।

अल्लाह तआला से प्रार्थना है कि वह हमें क़ुरआन को पढ़ने, उस को समझने, उस का अनुसरण करने तथा उस को प्रसारित करने की सामर्थ्य प्रदान करे । (आमीन)

मुहम्मद सिद्दिक़ क़ुरैशी
सिक्रेटरी,
इदारा दअ्वतुल क़ुरआन
मुम्बई ४०००० ३

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

मुसलमान इस बात पर ईमान रखता है कि क़ुर्आन अल्लाह की किताब है जो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल (अवतारित) हुई और जो बिना किसी क़ौम और मुल्क एवं समय तथा स्थान (Time & Space) का पक्ष लिये रहती दुनिया तक तमाम लोगों के लिए प्रेणा स्त्रोत एवं हिदायत का सामान है और ईमान लाने वालों के लिए सिर्फ़ प्रेणा स्त्रोत एवं हिदायत का सामान ही नहीं बल्कि रोगों से मुक्ति और रहमत भी है। इस ईमान का तक़ाज़ा तो यह था कि मुसलमान उस से तन मन और धन से सम्बन्ध स्थापित करते, उसको समझने का प्रयत्न करते, उस की आयतों पर ग़ौर करते, उस से ज्ञान की ज्योति प्राप्त करते, उस का सच्चे दिल से अनुसरण करते और उन ज़िम्मेदारियों को अदा करते जो इस किताब ने उन पर डाली हैं मगर मुसलमानों का हाल बहुत अजीब है। वह इस किताब को समझ कर पढ़ने की जरुरत ही महसूस नहीं करते बल्कि वे तो इस पर ईमान ले आने और इस की तिलावत करते (पढ़ते) रहने को काफी समझते हैं।परिणाम यह हुआ कि क़ुर्आन से इन का सम्बन्ध कमज़ोर हो कर रह गया है । क़ुर्आन और सुन्नत को जो महत्व और श्रेष्ठता प्राप्त होनी चाहिए थी उस की जगह व्यक्तियों और उन की किताबों ने ले ली है या फिर वह मन मानी करने के लिए बिलकुल आज़ाद हो गये और यह परिस्थिति ऐसी नहीं कि इस पर से हम सरसरी तौर से गुज़र जायें बल्कि उस के कारणों का गहराई से निरीक्षण करने और उन व्यर्थ की धारणाओं को दूर करने की ज़रुरत है जो इस सिलसिले में पायी जाती हैं।

अरबी न जानने का बहाना :

आम तौर से लोग यह सोचते हैं कि क़ुर्आन चूँकि अरबी भाषा में है और हम अरबी से अनभिज्ञ हैं इस लिए इस के अर्थ और भाव को जानने की कोशिश करना हमारे लिए ज़रुरी नहीं यह बहाना उस दशा

में तो स्वीकृत हो सकता था जब कि उस के अर्थ और भाव को जानने और मालूम करने के साधन मौजूद न होते मगर आज जब कि हर तरह के साधन मौजूद हैं इस आपत्ति अथवा इस बहाने का क्या औचित्य रह जाता है? मौजूदा दौर में शिक्षा आम हो गयी है और छपाई के नये तरिकों ने किताबों के प्रकाशन एवं उस के प्रसार के लिए कई तरह के साधन एकत्रित कर दिये हैं ! और जहाँ तक '' क़ुर्आन-ए-करीम'' के अनुवाद का सम्बन्ध है इस का अनुवाद दुनिया की अधिकांश भाषाओं में मौजूद है एवं कई भाषाओं में तफ़सीर (भाष्य) भी।फिर उन से सम्पर्क बनाने और लाभ उठाने में रुकावट क्या है ?

आज आदमी को अपना कैरियर बनाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। कालेज का एक छात्र जितनी किताबें पढ़ता है और जिस गहराई के साथ उन का अध्ययन करता है एवं अपनी आयु का जो भाग शिक्षा की प्राप्ति में लगाता है वह कितना मुशकिल काम है, किन्तु ये सब अपनी दुनिया बनाने के लिए गवारा किया जाता है मगर अपनी आखिरत (परलोक) बनाने के लिए क़ुर्आन का अध्ययन करने की ओर कोई ध्यान नहीं देता। अल्लाह की किताब ही एक ऐसी किताब है जिस का इल्म (ज्ञान)हासिल करने के लिए उस के पास समय नहीं है । होना तो यह चाहिए था कि जहाँ कई भाषाऐं सीख ली जाती हैं वहाँ अरबी भाषा भी सीखने कि कोई सुरत निकाल ली जाती जिस से अल्लाह के कलाम को बिना किसी मध्यस्थता के सीधे समझने की क्षमता (सलाहियत) पैदा हो जाती और जब नमाज़ में क़ुर्आन पढ़ा जाता तो उस के भावार्थ मस्तिष्क में उतरते चले जाते और उस की लज़्ज़त से ईमानी कैफियत पैदा हो जाती ।

लोगों की हालत यह है कि वह सुबह उठते ही अख़बार पढ़ते हैं फिर अपनी रुचि के अनुकूल पत्रिकाओं और पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। इन को दुनिया भर की किताबें पढ़ने की फ़ुर्सत है मगर नहीं फ़ुर्सत है तो एक अल्लाह की किताब अनुवाद सहित पढ़ने के लिए। यह कितनी दुखद घटना है। क्या इन के लिए यह संभव नहीं कि रोज़ाना फज्र की नमाज़ के बाद आधा घंटा ही ''क़ुर्आन-ए-करीम''

की तिलावत,उस के अध्ययन और उस पर चिनतन मनन के लिए खास तौर से सुरक्षित कर लें ? यह कैसी व्यस्तता है कि दुनिया की हर चीज़ समझने के लिए समय है लेकिन यदि समय नहीं है तो अल्लाह की किताब समझने के लिए।

जब किसी व्यक्ति के पास उस के दोस्त का खत किसी ऐसी ज़बान में आता है जिस को वह नहीं जानता तो वह किसी जानने वाले से पढ़वा लेता है लेकिन सारे जगत के रब ने जो संदेश अपने बन्दो के नाम भेजा है उस को जानने की चिन्ता उस को नहीं होती ।

क्या क़ुर्आन सिर्फ उलमा (विद्वानों) के समझने के लिए है?

मुसलमानों का एक गिरोह यह समझता है के क़ुर्आन सिर्फ उलमा (विद्वानों) के समझने के लिए है । रही आम जनता, तो बुज़ुर्गों (महान व्यक्तियों) की लिखी हुई किताबें पढ़ लेना उन के लिए काफी है। मगर यह ख़याल न केवल ग़लत, बेबुनियाद और क़ुर्आन की रौशनी से वंचित रहने का कारण है बल्कि उन को बुज़ुर्ग परस्ती (पुर्वजों की पूजा) में मुब्तेला करने का कारण भी ।

कौन नहीं जानता कि ''क़ुर्आन-ए-करीम'' के नाज़िल होने की शुरुआत ही ''इक़रा'' से हुई है जिसका अर्थ है ''पढ़''। और पढ़ने से मुराद क़ुर्आन ही का पढ़ना है एवं इस में समझ कर पढ़ने का भावार्थ भी शामिल है, क्यों कि क़ुर्आन एक उद्देश्य पूर्ण किताब है जिसको समझे बगैर किस तरह उस से लाभ उठाया जा सकेगा ?पढ़ने का यह हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से हर व्यक्ति को जिस तक क़ुर्आन पहुँचा दिया गया है, चाहे वह मुस्लिम हो या ग़ैर मुस्लिम, ख़ास लोगों में से हों या आम लोगों में से और ज्ञानी हो या अज्ञानी इस में किसी की कोई प्रमुखता नहीं । لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

क़ुर्आन तो अपने नाज़िल होने का उद्देश्य ही (ताकि तुम समझो)बताता है, इस लिए यह ख़याल करना कि इस किताब को सिर्फ उलमा (विद्वान) ही समझ सकते हैं, सरासर ग़लत है।

क़ुर्आन अपने आसान होने कि स्वयं पुष्टि करता है :-

وَلَقَدْيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۔ (سورہ قمر۔۱۷)

''और हम ने क़ुर्आन को आसान बनाया नसीहत के लिए, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला?''
(सूरह क़मर : १७)

क़ुर्आन की इस पुष्टि के बावजूद यह कहना कि यह किताब सिर्फ उलमा (विद्वानों) के समझने के लिए है बड़े दु:साहस की बात है। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति भी नेक नियती (शुद्ध हृदयता) के साथ क़ुर्आन का अध्ययन करेगा चाहे वह कितना ही कम ज्ञानी क्यों न हो उस की तज़कीर (नसीहत)से फायदा उठाये बग़ैर नहीं रहेगा और यही क़ुर्आन का सर्वप्रथम उद्देश्य है :-

وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (سورہ بقرہ:۲۲۱)

''और वह अपनी आयतें लोगों के लिए साफ़ साफ़ बयान करता है ताकि वे याद देहानी हासिल करें ।''
(सूरह बक़र: २२१)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۔ (سورۂ زمر۔۲۷)

''और हम ने इस क़ुर्आन में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें बयान कीं ताकि वे नसीहत हासिल करें।''
(सूरह जुमर: २७)

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۔ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ (سورۂ مدثر۔۵۴۔۵۵)

''नहीं, यह तो याद देहानी है, तो जो चाहे याद देहानी हासिल करे।''
(सूरह मुद्दस्सिर: ५४,५५)

और क़ुर्आन विद्वानो के लिए तो क्या मुसलमानों के लिए भी विशिष्ट (मख़सूस) नहीं है बल्कि वह तमाम इनसानों के लिए हिदायत की किताब है और उस का तक़ाज़ा है कि लोग इस का अध्ययन करें और इस में चिनतन करें :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ۔ (سورۂ بقرہ۔۱۸۵)

''रमज़ान का महीना जिस में क़ुर्आन नाज़िल किया गया,जो लोगों के लिए हिदायत है।''
(सूरह बक़र:१८५)

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۔ (سورۂ ص۔۲۹)

''यह किताब हम ने तुम पर नाज़िल की है, बरकत वाली ताकि लोग इस की आयतों में ग़ौर करें और बुद्धि रखने वाले नसीहत हासिल करें।'' (सूरह सॉद:२९)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۔ (سورۂ بقرہ۔۱۵۹)

''जो लोग हमारी नाज़िल की हुई ख़ुली निशानियों और हिदायत को छिपाते हैं हालाँकि हम उन्हें किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, यक़ीन जानो अल्लाह उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं।
(सूरह बक़र: १५९)

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۔ (سورۂ محمد۔۲۴)

''क्या यह लोग क़ुर्आन में ग़ौर नहीं करते ? या उन के दिलों पर ताले पड़ गये हैं ।''
(सूरह मुहम्मद : २४)

क़ुर्आन में काफ़िरों को भी आयतें सुनाने का हुक्म दिया गया है:

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۔ (سورۂ انعام۔۱۵۱)

'' कहो आओ मैं तुम्हें सुनाऊँ तुम्हारे रब ने क्या चीज़ें तुम पर हराम की हैं । ''
(सूरह अन्आम : १५१)

وَاَنْ اَتْلُوَ االْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ۔ (سورۂ نمل۔۹۲)

''(और मुझे यह हुक्म दिया गया है कि) क़ुर्आन पढ़ कर सुनाऊँ। जो हिदायत स्वीकार करेगा वह अपनी ही भलाई के लिए करेगा ।'' (सूरह नम्ल:९२)

यहाँ तक कि बिलकुल जंग के अवसर पर भी अगर कोई मुश्रिक (बहुदेववादी) अल्लाह का कलाम सुनने के उद्देश्य से सुरक्षा की माँग करे तो उसे सुरक्षा दे कर अल्लाह का कलाम सुनाने का हुक्म दिया गया है।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَکَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ذٰلِکَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۔ (سورۂ توبہ۔٦)

''और अगर मुश्रिकीन (बहुदेववादी) में से कोई व्यक्ति तुम से सुरक्षा की माँग करे तो उसे सुरक्षा दे दो यहाँ तक कि वह अल्लाह का कलाम सुन ले। फिर उसे उस के सुरक्षित स्थान पहुँचा दो।यह इस लिए कि यह लोग जानते नहीं है।''(सूरह तौबा: ६)

मगर आश्चर्य है कि मुसलमानों का एक गिरोह मुसलमानों ही पर क़ुर्आन समझने का दरवाज़ा बन्द कर देना चाहता है। वह कहता है कि अगर लोग क़ुर्आन का तर्जुमा (अनुवाद) पढ़ते रहे तो वह फितने के शिकार हो जायेंगें। गोया उन के नज़दीक बे समझे बूझे क़ुर्आन पढ़ते रहने से मुसलमानों के किसी फितने में मुब्तिला हो जाने की आशंका नहीं है बल्कि क़ुर्आन तर्जुमे के साथ पढ़ने से उन के फितने में मुब्तिला हो जाने का डर है। यह उल्टी मन्तिक़ है जिसे वह पेश कर रहे हैं। अगर उन का यह डर और संदेह सही है तो सवाल पैदा होता है कि उलमा (विद्वानों) ने ''क़ुर्आन-ए-करीम'' का अनुवाद करने का कष्ट क्यों उठाया? क्या यह अनुवाद उलमा ही के पढ़ने के लिए किये गये हैं?शाह अब्दुल क़ादिर साहब, मौलाना महमुदुलहसन साहब,मौलाना अशरफ अली साहब थान्वी,मौलाना फतेह मुहम्मद साहब जालंधरी, मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहब और दुसरे विद्वानों ने क़ुर्आने करीम के

तर्जुमे (अनुवाद) एवं तफ़्सीर की जो महान सेवा की है उन से किन लोगों को लाभ पहुँचाना उन के सामने था?अरबी जानने वालों को या उर्दू जानने वालों को।अगर इन विद्वानों के निकट तर्जुमा पढ़ने में फितने का भरम होता तो वह सिरे से तर्जुमा करते ही नहीं। रहा तरजुमों (अनुवादों) में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) का मसअला, तो अगर तरजुमे की सुद्धता की तरफ से इत्मीनान कर लिया गया है तो तर्जुमों के आंशिक मतभेद जो हर अनुवादक की समझ के हिसाब से होता है,इतना महत्व नहीं दिया जा सकता कि लोगों को यह सलाह दी जाये कि वह सिरे से तरजुमा पढ़े ही नहीं ।आज पढ़े लिखे मुसलमानों की एक संख्या ऐसी जरुर है जो पुराने और नये उर्दू अनुवाद से लाभ उठा रही है। उन के अनुदित क़ुर्आन पढ़ने से कौन सा फितना पैदा हुआ? फिर जो लोग क़ुर्आन तर्जुमे के साथ पढ़ने और सुनाने में फितना महसूस करते है। वह बुज़ुरगों और आलिमों (विद्वानों) की लिखी हुई किताबों के पढ़ने और सुनाने में फितना क्यों नहीं महसूस करते जब कि उन में आपत्तिजनक एवं ऐसी बातें जिन में मतभेद है, अधिकता से पायी जाती हैं और कुछ किताबों में तो कमज़ोर और गढ़ी हुई हदीसों की भरमार, बुज़ुरगों की अतियोक्ति से भरी तारीफ़, बे सिर पैर के उल्लेखों (हिकायतों) और ख़ुशफ़हमी पैदा करने वाले ख्वाबों ने दीन का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया है। इस लिए ज़रुरत इस बात की है कि अपने अपने समूह के विद्वानों (उलमा)की किताबों के अध्ययन की तुलना में क़ुर्आने-करीम के अध्ययन पर ज़ोर दिया जाये। लोगों का सम्बन्ध क़ुर्आने-करीम से जितना मज़बूत होगा इस्लाह (सुधार) का काम उतना ही आसान होगा। वह क़ुर्आन को समझ कर पढ़ने के जब आदी होंगे तो उन को इल्म (ज्ञान) की रोशनी उपलब्ध होगी और उन का इनसानों की लिखी हुई किताबों पर पूरा भरोसा नहीं होगा ।

दीनी इज्तिमाअ क़ुर्आन के पाठ से खाली

यह बात भी अजीब है कि मस्जिदों में दीनी इज्तिमाअ (सभाऐं)किये

जाते हैं जिन में बुज़ुरगों की किताबें तो बड़े ही योजनाबद्ध तरीक़े से पढ़ी जाती हैं लेकिन दरसे क़ुर्आन (क़ुर्आन के पाठ)का कोई आयोजन नहीं किया जाता। अगर दर्स देने के लिए कोई काबिल आदमी मौजूद नहीं है तो किसी भी तर्जुमा एवं तफ़्सीर में से जिस पर इत्मीनान हो पढ़ कर सुनाया जा सकता है ताकि अल्लाह का कलाम अर्थ एवं भाव के साथ लोगों के सामने आये। और यह चीज़ दूसरी चीज़ों की तुलना में अधिक लाभदायक और प्रभावपूर्ण हो सकती है किन्तु फ़ज़ाइल बयान करने वालों को क़ुर्आन की यह फज़ीलत (श्रेष्ठता) दिखाई नहीं देती। अगर कहीं दर्से क़ुर्आन दिया जा रहा हो तो उन्हें इस से दिलचस्पी नहीं होती लेकिन अगर उन के अपने समूह की कोई किताब पढ़ कर सुनाई जा रही हो तो गहरी दिलचस्पी के साथ उस को सुनते हैं। सोचने की बात है कि क़ुर्आन को क्या जगह दी जानी चाहिए थी और इन लोगों ने क्या जगह दे रखी है।

क्या ग़ैर मुस्लिमों को अनूदित क़ुर्आन देना जायज़ नहीं ?

जब तब्लीग़ (प्रचार) के उद्देश्य से क़ुर्आने-करीम तरजुमा तफ़सीर के साथ ग़ैरमुस्लिमों को पेश किया जाता है तो कुछ लोग इस पर आपत्ति करने लगते हैं और कहते है कि चूँकि क़ुर्आन को छूने के लिए पाक (पवित्र)होना जरुरी है इस लिए क़ुर्आन ग़ैर मुस्लिम को देना जायज़ नहीं । क़ुर्आन को छुने के जो आदाब ईमान लाने वालों के लिए हैं वह ग़ैर मुस्लिमों के लिए नहीं हो सकते।एक मुसलमान के लिए जो जनाबत (नापाकी)की हालत में हो मस्जिद में दाखिल होना जायज़ नहीं है जब तक की वह ग़ुस्ल (स्नान) न कर ले। किन्तु यह पाबन्दी ग़ैर मुस्लिम के लिए नहीं हो सकती।अत:नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा बिन असाल को जो काफ़िर था और कैदी बन कर आया था मस्जिदे नब्वी में खम्बे से बन्धवा दिया था।इसी तरह क़ैसर और किसरा (रोम और ईरान के शासको) जो दअवती ख़तूत (इस्लाम स्वीकार करने का निमंत्रण पत्र) नबी सल्लल्लाहुअलैहि वसल्लम ने भेजे थे उन में क़ुर्आन कि आयतें दर्ज थी। मालूम हुआ कि

तब्लीग़ (प्रचार) के उद्देश्य से क़ुर्आन का कोई हिस्सा या पूरा क़ुर्आन ग़ैर मुस्लिमों को दिया जा सकता है। वह अगर क़ुर्आन के साथ कोई अप्रिय एवं अनुचित व्यवहार करते हैं तो उस की ज़िम्मेदारी उन ही पर है। अल्बत्ता अगर यह मालूम हो कि वह इस से फ़ायदा उठाने के बजाये उस की तौहीन करेंगे तो फिर इस से बचना चाहिए।मौजुदा ज़माने में छापाखाने की तरक़्की ने अनूदित क़ुर्आन की प्राप्ति को बहुत आसान बना दिया है।ग़ैर मुस्लिम भी आसानी से पुस्तकालयों अथवा पुस्तक विक्रेताओं से क़ुर्आन की प्रतियाँ प्राप्त कर सकते है। अब क्या पुस्तक विक्रेताओं को इस का पाबन्द बनाया जायेगा कि वह ग़ैर मुस्लिमों को अनूदित क़ुर्आन न दें । हालात तो यह हैं कि ग़ैर मुस्लिमों के प्रेस में क़ुर्आन छपता है और ग़ैर मुस्लिम प्रकाशक इसे छापते भी हैं।यह सब कुछ गवारा किया जाता है।किन्तु जहाँ ग़ैर मुस्लिमों को क़ुर्आन के संदेश से परिचित कराने के लिए अनूदित कुरआन देने की बात आती है, कुछ लोग इस पर आपत्ति व्यक्त करते है। उन की यह आपत्ति दअवत और तबलीग़ (आहवान एवं प्रचार) के काम में रुकावट का कारण है।

क्या क़ुरआन की तिलावत पर अज्र (सवाब) नहीं ?

ऊपर जो कुछ कहा गया उस का मन्शा यह हरगिज़ नहीं कि कुरआने-करीम की तिलावत को व्यर्थ ठहरा दिया जाये। कुरआन और हदीस में तिलावत और हिफज़े-कुरआन (कुरर्आन को ज़बानी याद कर लेने) की जो फ़ज़ीलत (महत्व) बयान हुई उस को देखते हुए ऐसी बात करना बड़ा दुस्साहस होगा।हमें दीन के मामले में बिल्कुल सीमा के किनारे किनारे चलने से बच कर बीच की राह अपनाना चाहिए। हम ने इस मसले पर तफ़सीर दअ्वतुल कुरआन में सूरह अन्कबूत की आयत .... '' तिलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वह्य की गई है ''(अन्कबूत : ४५) की व्याख्या करते हुए जो नोट लिखा है वह यहाँ दर्ज किया जा रहा है ।

''सत्य और असत्य की इस कश्मकश में जिस का ज़िक्र ऊपर हुआ,

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप के माध्यम से आप के अनुयायियों को क़ुर्आन की तिलावत और नमाज़ की स्थापना के आदेश इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर ये इन्कार करने वाले अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं तो करने दो। तुम्हें अपने अन्दर वह गुण पैदा करना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को संवारने वाला और तुम्हें आखिरत की सफलता दिलाने वाला हो। और वह है अल्लाह से गहरा सम्बन्ध । और अल्लाह से गहरा सम्बन्ध अल्लाह की किताब क़ुर्आन की तिलावत और नमाज़ के आयोजन से पैदा होता है ।''

कुरआने-करीम की तिलावत का पूरा पूरा लाभ तो इसी सूरत में हासिल हो सकता है जब कि इस तरह तिलावत की जाये जिस तरह तिलावत करने का हक़ है। يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ अर्थात सब से पहले आदमी का इस पर ईमान हो, फिर उसे समझने की कोशिश करे, उस में ग़ौर और फिक्र करे, उस से नसीहत हासिल करे और उस की रहनुमाई को क़ुबूल करते हुए अपने व्यवहारिक जीवन (Practical Life) को उसके अनुकूल बनायें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अरबी न जानने वाले मुसलमान हर समय तरजुमे के साथ ही क़ुर्आन पढ़े। ऐसा करना संभव नहीं है क्यों कि नमाज़ में सिर्फ तिलावत ही की जाती है, तर्जुमा पढ़ने का वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता । असल बात यह है कि क़ुर्आन करीम की तिलावत अल्लाह का कलाम होने की हैसियत से स्वयं इबादत है और सान्निध्य (क़ुर्ब) का बहुत बड़ा साधन क्यों कि जब कोई व्यक्ति इस किताब पर ईमान रखते हुए शुद्ध हृदय से इसकी तिलावत करता है तो वह अल्लाह को याद करता है और अल्लाह के कलाम के प्रभाव से उस पर अल्लाह का ख़ौफ़ तारी होता है और यह बहुत बड़ी रूहानी दौलत है।इसी लिए इस के एक एक शब्द पर सवाब मिलता है अतःक़ुर्आन करीम की तिलावत के महत्व को घटाया नहीं जा सकता।इस का जितना भी एहतिमाम किया जाये सवाब का भागीदार होगा।इस की तरग़ीब (प्रलोभन)क़ुर्आन में भी दि गई है और हदीस में भी।रहे वह लोग जो क़ुर्आन कि तिलावत तो ख़ूब करते हैं लेकिन कभी उसको समझने की कोशिश नहीं करते तो यह ऐसा ही

है जैसे नमाज़ को तो लोग पढ़ते हैं मगर यह जानने की कोशिश नहीं करते कि वह इस में क्या पढ़ते हैं।यहाँ तक कि उन्हें सूरह फ़ातिहा और रुकू और सजदों में पढ़ी जाने वाली तस्बीह के अर्थ भी नहीं मालूम होते और न वह यह जानते हैं कि नमाज़ में वह किस चीज़ का इक़रार करते हैं और किस चीज़ का इन्कार।जिस तरह ऐसी नमाज़ अदा तो हो जाती है लेकिन अपने सुपरिणाम,अपनी बरकतों और अपने सवाब के लिहाज़ से अपूर्ण होती है उसी तरह क़ुर्आन की तिलावत से इबादत का फ़ायदा तो ज़रुर हासिल हो जाता है लेकिन उस के अर्थ और भाव की तरफ़ से बेपरवाही के नतीज़े में न केवल यह कि इबादत के सवाब में कमी हो जाती है बल्कि ऐसा व्यक्ति क़ुर्आन से लाभान्वित नहीं हो पाता और अपनी तरबियत,तज़्कियः (शुद्धता) और रहनुमाई के लिए जो सम्बन्ध क़ुर्आन से बनाना चाहिए वह सम्बन्ध बना नहीं पाता और यह बहुत बड़ी महरुमी है।क्या ऐसे लोग यह समझते हैं कि अल्लाह उन से यह न पुछेगा कि जब अल्लाह कि किताब तुम्हारे पास मौजूद थी तो तुम ने उसे समझने कि कोशिश क्यों नहीं की? क्या यह किताब सिर्फ तिलावत के लिए उतारी गई थी या इस लिए उतारी गई थी कि तुम उस से रौशनी हासिल करो ? (सूरह अन्‌कबूत आयत ४५ नोट: ८३)

जो लोग बेसमझे बूझे क़ुर्आन पढ़ने के आदी हो गये हैं वे इस हदीस पर भी ग़ौर करें :

لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ۔ (ترمذی ابواب القرأت)

'' जिस ने तीन दिन से कम वक्त में (पूरा) क़ुर्आन पढ़ा उस ने कुछ नहीं समझा''। (तिर्मिज़ी अबवाबुल क़िर्अत)

ज़ाहिर है जो व्यक्ति तीन दिन से भी कम समय में क़ुर्आन ख़त्म करेगा वह अल्लाह के कलाम पर से सरसरी तौर से ग़ुज़र जायेगा और उस के अर्थ और भाव की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा।एक अरबी जानने वाला व्यक्ति भी अगर ऐसी क़िर्अत (पढ़ाई) करता है तो इस को उक्त हदीस में नापसन्दीदा (अप्रिय)क़रार दिया गया है।इस से यह बात अपने आप साफ़ हो जाती है कि क़ुर्आन की क़िर्अत से मात्र अल्फ़ाज़ को ज़ुबान से अदा करना अभिप्रेत नहीं है बल्कि इस के साथ

साथ उस को समझने की कोशिश करना भी है ।

फिर कुर्आन को समझ लेना भी काफी नहीं बल्कि उस का अनुकरण और उस पर अमल भी ज़रुरी है. कुर्आन बार बार पुष्टि करता है कि आखिरत की कामयाबी उन ही लोगों के लिए है जो ईमान ला कर नेक अमल करेंगें. इस लिए कुर्आन की रस्मी तिलावत पर बस करना और उस को समझने की कोशिश न करना और उस पर अमल न करना बड़ी नादानी की बात है। क़ुर्आन में यहूदियों को जिन्हें अल्लाह की किताब का भारवाहक बनाया गया था. मगर वह सही अर्थों में उस किताब के भारवाहक नहीं बने, उन्हें ऐसे गधे से अलंकृत किया गया है जिस पर किताबें लदी हुई हों ।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا۔ (سورۂ جمعہ۔۵)

''उन लोगों की मिसाल जिन को तौरात का भार वाहक (हामिल) बनाया गया था फिर उन्होंने उस का भार नहीं उठाया, उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों ''।

(सूरह जुमअ:५)

कितने दुख कि बात है कि आज क़ुर्आन को समझने और इस का इल्म हासिल करने के सारे साधन मौजूद होते हुए अधिकाशं मुसलमान बे सोचे समझे क़ुर्आन की क़िर्अत (पढ़ाई)करने पर संतुष्ट हो गये हैं । क़ुर्आन तो इस लिए नाज़िल हुआ है कि आदमी अपनी बाग़ डोर उस के हाथ में दे और उस की रौशनी में चल कर अपनी आखिरत की मुक्ति का सामान करे।मगर मुसलमानों का हाल यह है कि इन्होंने इसे मुर्दों को बख़्शवाने का साधन बना लिया है और इस उद्देश्य के लिए क़ुर्आन ख़्वानी की मजलिसें आयोजित करते है. क्या इन की इस हरकत पर हदीस की यह तम्बीह يَفْعَلُوْنَ مَالَا يُؤْمَرُوْنَ (वह काम करते हैं जिन का हुक्म इन्हें नहीं दिया गया है) लागू नहीं होती ?

क़ुर्आन के अध्ययन के लाभ

क़ुर्आन के अध्ययन के लाभ इतने हैं कि वे बयान करने के मुहताज

नहीं । किन्तु इस मामले में जो गफ़लत बरती जा रही है उसे देखते हुए कुछ बातों की तरफ इशारा करना जरुरी मालूम होता है।

पहली बात तो यह है कि क़ुर्आन हिदायत की किताब है और मौजूदा ज़माने में जब कि मुसलमानों में अक़ायद की गुमराहीयाँ भी आम हो गयी। हिदायत के असल स्त्रोत की तरफ पलटने, बढ़ने और लाभ हासिल करने की जरुरत अधिक से अधिकतर हो गई है। एक तरफ भौतिकवादी सिद्धान्त ने ख़ुदा और आखिरत के बारे में बड़े संदेह उत्पन्न कर दिये हैं जिन से हमारा शिक्षित वर्ग बुरी तरह प्रभावित है और दूसरी तरफ दीन के उलमा में जहाँ हक़ की रहनुमाई करने वाली योग्य हस्तियाँ मौजूद हैं वहाँ अक़ायद के बारे में गुमराही फैलाने वाले ''उलमा'' की भी कमी नहीं।अल्लाह को छोड़ कर औलिया को ग़ौस (फ़रियाद पूरी करने वाला)और मुश्किल कुशा (मुश्किलें दूर करने वाला) क़रार देने वाले ''उलमा'' ही तो हैं।जिन्हों ने व्यर्थ की दलीलों द्वारा शिर्क को भी जो कभी न बख़्शा जाने वाला गुनाह है, जायज़ क़रार दिया है।अतः वह कहते हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि औलिया हाजतों को पूरा करने वाले हैं बल्कि अल्लाह तआला ने हाजत रवाई के अधिकार इन को दे रखे हैं । लेकिन जो व्यक्ति भी क़ुर्आन का खुले ज़ेहन से अध्ययन करेगा वह यह महसूस किये बग़ैर नहीं रह सकता कि इस तरह की सारी बातें झूठ और आरोप है जो अल्लाह तआला की तरफ मन्सूब किया गया है क्यों कि क़ुर्आन में औलिया के सम्बन्ध में ऐसी बातें कहीं भी बयान नहीं हुई है। बल्कि क़ुर्आन इस बात की पुष्टि करता है कि अल्लाह के सिवा किसी को भी हाजत रवाई के लिए पुकारना सरासर शिर्क है, और पहली ही सूरह (सूरह फतिहा) में दुआ की जो तालीम दी गयी है वह है اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَاِيَّاکَ نَسْتَعِيْنُ (हम तेरी ही इबादत करते है और तुझ ही से मदद माँगते है) इस दुआ में न वास्ता है और न वसीला जिस पर इन ''उलमा'' ने हंगामा खड़ा कर रखा है। इसी तरह अल्लाह के सिवा दुसरी हस्तियों के लिए नज़्र, नियाज़, दरगाह, उर्स,सन्दल, ग्यारहवीं की बिदअतें और मुहर्रम के खिचड़े इत्यादि की जो नई शरीअत प्रचलित कर दी गयी है वह उस

शरीअत के बिलकुल खिलाफ है जिसकी तालीम क़ुर्आन में एवं रसूल की सुन्नत में दी गयी है।मतलब यह की क़ुर्आन का अध्ययन करने वाला अगर खुले ज़ेहन और नेक नियती से अध्ययन करता है चाहे वह तर्जुमे की मदद से ही क्यों न हो, तौहिद को निखरे हुए अंदाज में पायेगा और शिर्क से अपना दामन बचा सकेगा जो आखिरत की निजात के लिए सब से पहली शर्त है।

दूसरी बात यह है कि क़ुर्आन के अध्ययन से इन्सान को ठोस और वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। जिहालत दूर होती है तथा इल्म की रौशनी उस को हासिल हो जाती है। वह अपनी ज़िन्दगी के मक़्सद को भी समझने लगता है और यह भी जानने लगता है कि उस की ज़िम्मेदारियाँ क्या है।उस को अल्लाह की मारिफ़त (सान्निध्य)भी हासील होती है और उस का डर भी पैदा होता है।जो हक़ीकतें हमारी नज़रो से ओझल है उन का इल्म भी हासिल होता है और आखिरत की जवाब देही का एहसास भी उभरता है। अल्लाह के आदेश और क़ानूनों की जानकारी भी प्राप्त होती है और उन की पैरवी करने एवं उनको प्रचलित तथा लागू करने की प्रेरणा भी पैदा होती है।

तीसरी बात यह है कि दीन के मामले में सिर्फ जानना इन्सान के लिए काफ़ी नहीं होता क्यों कि जानते हुए भी इन्सान अपनी इच्छाओं से पराजित हो जाता है और गुनाह के काम करने लगता है। उस को गुनाहो से बचाने और नेकी पर क़ायम रखने के लिए बार बार याददेहानी और नसीहत की जरुरत होती है । क़ुर्आन का अध्ययन करते रहने से याददेहानी और नसीहत की बातें बार बार सामने आती हैं और इन्सान के लिए अपनी इच्छाओं पर क़ाबू पाना आसान हो जाता है।

चौथी बात यह है कि क़ुर्आन दिल की बीमारी के लिए शिफ़ा (आरोग्य)है। وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ''और सीनों में जो (बिमारियाँ) है उन के लिए शिफ़ा है''।(सूरह यूनुस :५७) इस लिए दिल में पैदा होने वाले वसवसों, संदेह, अहं,घमंड,दिखावा, गुनाह की ओर दिल का झुकाव,जलन,इर्ष्या,शत्रुता इत्यादि बीमारियों से दिल को पाक करने

और अच्छे गुणों को पैदा करने और उन्हें परवान चढ़ाने का उत्तम साधन क़ुर्आन ही है । तज्किया-ए-नफ्स (आत्मा की शुद्धता) के लिए किसी पीर वग़ैरा की ज़रुरत नहीं है बल्कि क़ुर्आन और सुन्नते रसूल का मुतालआ और उन को पकड़े रहना काफी है ।

पाँचवी बात यह है कि इन्सान का सुधार और उस की सही तरबीयत में अच्छे लोगों की सोहबत भी एक महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण चीज़ है। क़ुर्आन की विशेषता यह है कि वह बार बार नबियों के हालात सामने लाता है गोया पढ़ने वाले को नबियों की मजलिस में ले जाता है ताकि वह उन की सोहबत का लाभ हासिल करें। आदर्श आचरण रखने वाले इन पवित्र आत्माओं की जीवनी और उन की महानता के विभिन्न पहलू जब सामने आते हैं तो क़ुर्आन का अध्ययन करने वाला प्रभावित हुए बग़ैर नहीं रहता ।

लेकिन मुसलमानों का एक गिरोह इस बात पर ज़ोर देने के बजाए कि क़ुर्आन का अध्ययन किया जाये और उस में नबियों के जो तज़किरे हैं उन से लाभ उठाया जाये, बुज़ुरगों की सोहबत का लाभ उठाने पर जोर देते हैं मगर पहली बात तो यह की बुज़ूरगों की सोहबत नबियों की सोहबत का बदल नहीं हो सकती जो क़ुर्आन में हमें मिलती है। दूसरे यह कि मौजूदा ज़माने में ऐसे बुज़ुर्ग मुश्किल ही से मिलेंगें जो मुख्लिस,अक़िदे से सही, क़ुर्आनी विचारों के धनी, अल्लाह का डर रखने वाले, परहेज़गार, सुन्नत के अनुयायी अपने व्यक्तिगत और समूहिक दायित्व को निबाहने वाले और बिदअतो, खुराफ़ातों से बचे हुए हों और असन्तुलित न हो। अब सोचिए करोड़ो व्यक्तियों को किन बुज़ुरगों के पास भेजा जाये जिन की सोहबत में रहना व्यवहारिक (practical) बात हो।फिर एक व्यवहारिक बात की अहमियत को घटा कर एक अव्यवहारिक (Unpractical) बात पर ज़ोर देने से क्या हासिल? हमारे कहने का यह मंशा हरगिज़ नहीं है कि आलिमों, बुज़ुरगों और नेक लोगों की सोहबत को बे फायदा क़रार दिया जाये। बल्कि मंशा यह है कि वास्तव में असली सोहबत तो नबियों की है जिन से लाभ उठाया जाना चाहिए जिन के किस्से क़ुर्आन इस तरह

बयान करता है कि पढ़ने वाला या सुनने वाला गोया उन्हें जीती आँखों से देख रहा है।और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी जो क़ुर्आन और सही हदीसों में सुरक्षित है, सोहबत का लाभ उठाने के लिए बहुत काफ़ी है।

छठी बात यह है कि क़ुर्आन तो ऊपर उठाने वाली, बुलन्दी प्रदान करने वाली किताब है, जैसा कि हदीस में फरमाया गया है :

اِنَّ اللّٰـهَ يَرۡفَعُ بِهٰذَا الۡكِتَابِ
اَقۡوَامًا وَّ يَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيۡنَ -
(مسلم کتاب فضائل القرآن)

''अल्लाह इस किताब के द्वारा कितनी ही क़ौमों को उठायेगा और कितनी क़ौमो को गिरायेगा''।
(मुस्लिम)

क्या यह बुलन्दी मात्र क़ुर्आन यूँहि पढ़ लेने से हासिल होगी या यह सरबुलन्दी हासिल करने के लिए क़ुर्आन का हामिल और अमलबरदार बनना ज़रुरी है और यह बात इसी सूरत में हो सकती है जब कि क़ुर्आन को समझा जाये, उस का इल्म हासिल किया जाये और अपने आचरण से उस की पैरवी कर के दिखा दिया जाये।

अगर मुसलमान जागृत (बेदार) हों और क़ुर्आन से विवेकपूर्ण (शऊरी) सम्बन्ध पैदा करें तो अपने को भी संवार सकते हैं, दूसरी क़ौमों को भी अमृत (आबे-हयात) दे सकते हैं। दुनिया में भी सरबुलन्द हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब और प्रसन्नचित हो सकते हैं।

अल्लाह तआला मुसलमानों को इस की तौफ़िक़ अता फरमाये ।

क़ुर्आन की दअवत को ले कर उठिये
और
लोगों को ग़फ़लत से जगा दीजिये

زیراہتمام: محمد صدیق قریشی
Pixel Arts
Mobail : 9820790615
Printed at : Fatima Printers
Tilak Nagar , Saki Naka Mumbai 400070

क़ुर्आन अल्लाह का कलाम है और इस का तक़ाज़ा है कि :

✪ आप क़ुर्आन को समझ कर पढ़ने का प्रबन्ध करें। यह प्रबन्ध इस प्रकार हो सकता है कि रोज़ाना फ़ज्र की नमाज़ के बाद अगर ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा क़ुर्आन के लिए (Fix) कर दें । चन्द आयतें ही क्यों न हो, सब से पहले इन की तिलावत की जाये फिर इन का तर्जुमा पढ़ा जाये और फिर इन पर ग़ौर किया जाये। इस सिलसिले में किसी विश्वस्नीय तफ़्सीर से मदद ली जा सकती है ।

✪ अपने बच्चों और घर वालों को क़ुर्आन समझ कर पढ़ने का बढ़ावा दिया जाये और इस के लिए मुनासिब इन्तिज़ाम किया जाये अनूदित क़ुर्आन का हर घर में होना ज़रुरी है ।

✪ स्कूलों और प्राइमरी मदरसों में उस्ताद क़ुर्आन नाज़र: पढ़ाने पर बस करते हैं अलबत्ता नअत और नज़्में ज़बानी याद कराते हैं। अगर कुछ छोटी छोटी सूरतें जैसे सूरह फ़ातिहा, सूरह इख़्लास और सूरह अस्र तर्जुमे के साथ याद करा दी जाऐं तो कम से कम बच्चों पर यह असर तो पड़ेगा कि क़ुर्आन समझ कर पढ़ने की किताब है और फिर सूरह फ़ातिहा का तर्जुमा तो हर बच्चे की ज़बान पर होना चाहिए क्योंकि यह नमाज़ की हर रकअत में पढ़ी जाने वाली सूरह है ।

✪ दरसे क़ुर्आन के हल्क़े जगह जगह क़ायम किये जायें । हर मस्जिद में इस का आयोजन हो और दीनी इज्तिमाअ में इस को प्राथमिकता दी जाये ताकि श्रेताओं के सामने अल्लाह का कलाम अर्थ और भाव के साथ आये और अल्लाह की किताब को दूसरी तमाम किताबों पर वास्तव में श्रेष्ठता दी जा सके।

✪ क़ुर्आन के तर्जुमे को (अगर आसान तफ़सीर के साथ हो तो बेहतर है) मुसलमानों और ग़ैर मुस्लिमों में अधिक से अधिक फ़ैलाने की कोशिश की जाये ताकि क़ुर्आन का पैग़ाम घर घर पहुँचे और ग़ाफिल लोग होश में आऐं एवं ग़ैर मुस्लिमों पर अल्लाह की हुज्जत कायम हो जो उम्मते मुस्लिमः के अस्तित्व का उद्देश्य है ।